तारीख हुक्म 31 / 2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/6/22	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **रायला** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम **लाम्बिया कलां प0ह0 लाम्बिया कलां भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा** जमाबंदी संवत् **2070 से 2073** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी / सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान / पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा बनेड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.08.05 17:42:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प रायला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 31 / 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

जमीला बेगम जोजे अलानूर खां कायमखानी निवासी साकरियाखेडा तहसील बनेड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1–2 वसीम खां, मोहसिन खां पिता सलीम खां कायमखानी निवासी नाका मदार एकता नगर अजमेर
3– युसुफ खां पिता फारूक खां कायमखानी निवासी नाका मदार एकता नगर अजमेर
4– अहसान अली खां पिता उमरदराज खां कायमखानी निवासी नाका मदार एकता नगर अजमेर
5– अमीनाबानू पत्नी सलीम खां कायमखानी निवासी नाका मदार एकता नगर अजमेर
6–7 सलीम खां, अहमद नूर खा, पिता अलादीन खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
8– अशरफबानू पत्नी अलादीन खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
9– वाहीद नूर पिता जलाल खां कायमखानी निवासी खारिया खेड़ा लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
10–11 इकबाल खां, जाकीर खां पिता सोकत खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
12–17 शेर खां, फतेह मो0 खां, मुशताक खां, शोभाग खां, भवदीन खां, फोज खां पिता केसर खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा
18– बुन्दे खां पिता उम्मेद खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
21– भंवरी बानू पत्नी भंवर खा कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
22–26 वाईदनूर खां, चिराग अली खां, रोशन खां, सलीम खां, सोकत खां पिता जबरदी खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा
27– कोयली पुत्री लादु लाल दरोगा निवासी नया खेड़ा तहसील बनेड़ा
28– मेवा पत्नी लादुलाल दरोगा निवासी नया खेड़ा तहसील बनेड़ा
29– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 22 / 06 / 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.08.05 17:42:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **लाम्बिया कलां** [illegible] **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **579, 580, 581**, [illegible] **587, 630, 631, 634** कुल **किता 12** रकबा **16 बीघा 17 बिस्वा** के खातेदार [illegible] मध्य प्रश्नगत आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण [illegible] होता रहता है। आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उ[illegible] होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम लाम्बिया कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 630, 631, 634 कुल किता 12 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम लाम्बिया कलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 630, 631, 634 कुल किता 12 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **रायला** को **1700/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **रायला** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **22/06/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **महुआ खुर्द** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.08.05 17:42:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा